

कार्यालय आयुक्त राज्य बीमा एवम् प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान जयपुर

क्रमांक : एफ.1(ए)218 / संस्था / बीमा / 2010 /

दिनांक :

—:आदेश:—


816

01 NOV 2010

दिनांक 27.10.2010 को माननीय राज्यमंत्री, राज्य बीमा एवम् प्रावधायी निधि की अध्यक्षता में सचिवालय में आयोजित हुई बैठक के संदर्भ में दिनांक 15.12.2010 तक शत-प्रतिशत एम्प्लोई मास्टर डेटा फीड करने/सामान्य प्रावधायी निधि/नवीन पेंशन योजना आदि के एप्लिकेशन क्रियेशन एवम् सॉफ्टवेयर को ऑनलाइन करने हेतु इस विभाग के निम्नांकित अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित जिला कार्यालयों का प्रभारी अधिकारी बनाया जाता है :-

क्र. सं.	नाम अधिकारी	पद एवम् वर्तमान पदस्थापन	जिला कार्यालय जहाँ का प्रभारी बनाया गया है
1.	श्री देवव्रत अरूण	संयुक्त निदेशक, जयपुर संभाग प्रथम	जयपुर शहर द्वितीय
2.	श्री रतन लाल "बी"	संयुक्त निदेशक, जयपुर संभाग द्वितीय	अलवर
3.	श्री सुनील चन्द्र बंसल	संयुक्त निदेशक, भरतपुर संभाग	करोली
4.	श्री विजय कुमार पारीक	उपनिदेशक (सिस्टम्स)	धौलपुर
5.	श्री मंत्रमुग्ध कटारिया	उपनिदेशक, जोधपुर शहर	जैसलमेर
6.	श्री जितेन्द्र सिंह सांदू	उपनिदेशक, पाली	सिरोही
7.	श्री चन्दन सिंह चौहान	उपनिदेशक, जोधपुर ग्रामीण	जालोर
8.	श्री देवेन्द्र कुमार चौधरी	संयुक्त निदेशक, बीकानेर संभाग	हनुमानगढ़
9.	श्री शिशिर कुमार चतुर्वेदी	संयुक्त निदेशक, कोटा संभाग	बारां
10.	श्री एस0एन0 खण्डेलवाल	अतिरिक्त निदेशक (बीमा/सिस्टम्स)	बून्दी
11.	श्रीमती अतिका आजाद	उपनिदेशक, कोटा	झालावाड
12.	श्री वेदप्रकाश गुप्ता	संयुक्त निदेशक (सिस्टम्स)	चित्तौड़गढ़
13.	श्रीमती सुरभि भार्गव	संयुक्त निदेशक, उदयपुर संभाग	प्रतापगढ़

- उपर्युक्त अधिकारी सम्बन्धित जिला कार्यालय का सप्ताह में एक बार अवश्य भ्रमण करेंगे एवम् उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों के संबंध में मुख्यालय स्तर पर चर्चा उपरान्त निराकरण करवायेंगे ।
- सॉफ्टवेयर ऑनलाइन कार्य के अतिरिक्त ये अधिकारी अपने अधीनस्थ जिलों/कार्यालयों का कार्य भी पूर्ववत् अनुश्रवण करेंगे ।
- समस्त संयुक्त निदेशक अपने अधीनस्थ जिला कार्यालयों के विप्रो सॉफ्टवेयर को लागू करवाने के लिए समग्र रूप से उत्तरदायी होंगे ।



(रमेश के0 जैन)
आयुक्त

क्रमांक : एफ.1(ए)218/संस्था/बीमा/2010/ 17610-50

दिनांक :

01 NOV 2010

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजि सहायक, आयुक्त महोदय, मुख्यालय जयपुर ।
2. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)मुख्यालय जयपुर ।
3. समस्त अतिरिक्त /संयुक्त निदेशक मुख्यालय जयपुर
4. मुख्य लेखाधिकारी, मुख्यालय जयपुर ।
5. समस्त संयुक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, संभाग कार्यालय
6. सम्बन्धित उप/सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग जिला कार्यालय
7. कैंडर स्ट्रेन्थ लिपिक
8. निजि /रक्षित पत्रावली ।

उप निदेशक (संस्थापन)
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग,
राजस्थान जयपुर